

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी

प्रकरण सं.: 142/2025  
दिनांक: 9/7/25

क्रमांक: पं.दी.उ. पंखवाडा / 2025 / 141

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुरती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 303/1 व मू.अ.  
नि. शुभा वगली.ई. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर  
राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोयणेश्वर महादेवनगर  
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 में खाता संख्या 31, 48, 46  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	गोयणेश्वर महादेवनगर	31	24/1 24/2	नेनगाटा 1/3 5/6	मानगाटा 1/3 5/6
2	रेवाड़ी मानगी	48	134/53	धूड़ाटा 1/3	धूड़ाटा 1/3
3	रेवाड़ी मानगी	46	54 9 55		

3  
(जगदीश सिंह आशिया)  
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक: 9/7/25

क्रमांक: सम. / 2025 / 142-144

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालन रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्राथी मानगाटा (1/3) रेवाड़ी मानगी तहसील सिणधरी की सूचानार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

3  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी